न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/213/2017

उनवान

1. मस्जिद स्थान देह जरिये मौअजन (खिदमतदार) फकीर मोहम्मद वल्द इमामुद्दीन कौम– मुसलमान निवासी माली मोहल्ला तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मस्जिद स्थान देह जरिये मौअजन हुसैन मोहम्मद वल्द नजीर मोहम्मद, कौम मुसलमान, निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. अजीज मोहम्मद वल्द इमामुद्दीन मुसलमान, निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. रशीद मोहम्मद वल्द इमामुद्दीन मुसलमान, निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. फैयाज मोहम्मद वल्द फखरूद्दीन मुसलमान, निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. ईकबाल मोहम्मद वल्द फकीर मोहम्मद मुसलमान, निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. भोलू पिता उगमा माली निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. तेजु पिता भोलू माली निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
8. श्रीमती घीसी पत्नि भोलू माली निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी,गुलाबपुरा के प्रकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 270/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री एच डी वर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 1.5.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी मस्जिद स्थान देह का मौअजन (खिदमतदार) है और मस्जिद स्थान देह हके नाम से राजस्व ग्राम हुरडा मगरा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा में खाता संख्या 680 के आराजी नम्बर 1656 रकबा 12 बीघा 08 बिस्वा , आराजी नम्बर 1659 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, कुल किता 2 कुल रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात मस्जिद स्थान देह की है और वादी मोअजन (खिदमतदार) होने से उपरोक्त वर्णित आराजियात में वादी के पूर्वाधिकारियों के समय से ही 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और वादी के पूर्वाधिकारी नजीर मोहम्मद पुत्र अमीर मोहम्मद का उपरोक्त आराजी में 1/2 हक हिस्सा था जो जरिये विरासत वादी के हक हिस्से में आया । वादी अपने पूर्वाधिकारियों के समय से ही वादग्रस्त आराजियात के 1/2 हक हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ जाने से वादी के हक हिस्से की 1/2 आराजियात में उनका कोई संबधं एवं सरोकार नहीं होने के बावजूद वादी के कब्जे एवं उपयोग उपभोग में अनावश्यक दखलन्दाजी करते

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

रहते हैं और वादी को वादग्रस्त आराजियात से जबरन बेदखल करने की धमकियॉ देते रहते हैं और नाजायज तौर पर वादी के कब्जेकाश्त की आराजियात में हस्तक्षेप कर लडाई झगडा करते रहते हैं। आज से करीब 7–8 दिन पूर्व उक्त सभी प्रतिवादीगण हमसलाह होकर वादी के हक हिस्से की आराजियात पर आये और वादी की आराजियात में खडी उडद की फसल को नूकसान पहूॅचाने की गरज से खोदना प्रारंभ कर दिया जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण को नुकसान नहीं करने बाबत कहा तो प्रतिवादगण नाराज होकर वादी के साथ लडाई झगडा करने लगे एवं धमकी दी कि वादी को उसके हक हिस्से एवं कब्जेकाश्त की उक्त आराजियात में जबरन भुजबल के आधार पर बेदखल करके रहेंगे एवं वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देंगे। अतः प्रतिवादगण के विरूद्ध एवं वादी के हक में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादग्रस्त आराजियात में वादी के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि में वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें एवं वादी को बेदखल करने की धमकी नहीं देवें।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने साथ यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने से अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.4.2017 की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने अधिवक्ता भानुप्रताप केलानी को पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त किया तथा उक्त अधिवक्ता को अपनी ओर से पैरवी हेतु वकालतनामा/अधिकार पत्र दे दिया, अधिवक्ता महोदयय ने कहा कि जवाब देंगे तब बुला लेंगे, उसके बाद लम्बे समय तक पीठासीन अधिकारी जी नहीं बैठे तथा न ही अधिवक्ता महोदय ने सूचना दी । जिससे पेशी पर नहीं जला सका। अधीनस्थ न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही अपीलाण्ट के विरूद्ध अमल में लाई गई। जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हो पाई। अभी हाल ही में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने फसल बोने से मना कर दिया तथा दावा जीतने की सूचना दी जिस पर अधिवक्ता से सम्पर्क कर नकलों हेतु आवेदन किया । जिस पर नकलें दिनांक 4.7.2017 को प्राप्त हुई। तब उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अतः दिनांक 17.4.2017 से नकले प्राप्त होने दिनांक 4.7.2017 तक का समय जानकारी के अभाव में क्षम्य योग्य होने से अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान से नहीं देखा गया केवल ऊपरी तौर पर अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि सारी आराजियात स्थानदेह मस्जिद के नाम खातेदारी हक से दर्ज है तथा अपीलाण्ट उसके बाप–दादाओं के समय से ही स्थानदेह मस्जिद का खिदमतदार होने से आराजी संख्या 1655 व 1659 पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा रेकार्ड में खिदमबदार

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दर्ज रेकार्ड है जिस पर ध्यान नहीं देकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को आराजी संख्या 1655 व 1659 के 1/2 हिस्से पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की कहै जबकि आराजी संख्या 1655 व 1659 कुल रकबा 21 बीघा 05 बिस्वा अवभिक्त होकर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का शामिल में कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निर्णय दिया है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में यह कहीं भी नहीं दर्शाया है कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1655 व 1659 के किस हिस्से पर काबिज है। कुलिया हिस्सा अविभक्त है जिसमें अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त है जिसे बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे।

8. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भावी एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. अपीलार्थी का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात स्थान देह मस्जिद के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज है तथा अपीलाण्ट उसके बाप–दादाओं के समय से ही स्थानदेह मजिस्द का खिदमतदार होने से होने से वादग्रस्त आराजी संख्या 1655 व 1659 पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजियात अविभक्त होकर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का कब्जा शामिल में है। ऐसी स्थिति में स्थाई निषेधाज्ञा से अपीलार्थी को पाबन्द नहीं किया जा सकता है।

10. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी प्रदर्श 1 संवत 2067 से 2070 का अवलोकन किया उक्त जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी संख्या 1655 व 1659 के खातेदार के कॉलम में श्री मस्जिद स्थानदेह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रत्यर्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से पर अपना कब्जाकाश्त बताते हुए प्रतिवादी/अपीलाण्ट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा चाही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण प्रत्यर्थी/वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया है।

11. वादग्रस्त आराजी संख्या 1655 व 1659 के खातेदार के कॉलम में श्री मस्जिद स्थानदेह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। तथा अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी श्री मस्जिद स्थानदेह के (खिदमतदार) मोअजन है। यानि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी श्री मस्जिद स्थानदेह की खातेदारी की भूमि की आय से मस्जिद की देख–रेख, सेवा, करते हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि श्री मस्जिद स्थानदेह की खातेदारी की है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी जो कि श्री मस्जिद स्थानदेह के (खिदमतदार) मोअजन है एवं उनका शामलाती कब्जा है। जिनको कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है । स्थाई निषेधाज्ञा खातेदार के पक्ष में जारी की जा सकती है परन्तु वादी/रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 मस्जिद स्थानदेह जरिये मोअजन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

(खिदमतदार) श्री हुसैन मोहम्मद पुत्र श्री नजीर मोहम्मद द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज काश्तकार श्री मस्जिद स्थानदेह खातेदार के पक्ष में अनुतोष न चाह कर मोअजन (खिदमतदार) के कब्जेकाश्त के आधार पर अन्य के खिलाफ अनुतोष चाहा है। मस्जिद स्थानदेह की भूमि का उपयोग–उपभोग मस्जिद स्थानदेह के लिए ही हो सकता है, तथा ऐसी भूमियों पर मस्जिद स्थानदेह के काश्तकार दर्ज होने से हक अधिकार निर्धारण कराने हेतु खिदमतदारान द्वारा वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा लाया जा सकता है परन्तु खिदमतदारान के कब्जेकाश्त के हक निर्धारण का निर्णय धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है। चूंकि खिदमतदारान स्वयं काश्तकार नहीं है, अतः धारा 188 के तहत कब्जेकाश्त बाबत मोअजन (खिदमतदारान) के मध्य हक अधिकार का निर्धारण नहीं करवा सकते हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी संवत 2043 से 2046 में श्री मस्जिद स्थानदेह खातेदार की भूमि में खिदमतदारान के नाम दर्ज होने के आधार पर वादी /रेस्पोडेण्ट नम्बर एक को वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से पर काबिज माना है तथा वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या को मौरूसी हक अधिकारों की आराजियात से बेदखल किये जाने की संभावना के आधार पर वादी को अपूर्णीय क्षति होना मानकर निर्णय दिया है। जिसे धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को वर्तमान राजस्व रेकार्ड का भी अवलोकन करना चाहिये था। प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2067 से 2070 में श्री मस्जिद स्थान देह खातेदार दर्ज है तथा किसी भी खिदमतदार का कोई हक हिस्सा नहीं माना जाकर इन्द्राज दर्ज है। श्री मजिस्द स्थान देह खातेदार के हक अधिकारों की सुरक्षा हेतु खिदमतदारान के नाम जमाबंदी से हटाये

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गये हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधि से परे पारित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

12. अतः अपील अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष की सीमा तक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2017 को निरस्त किया जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 1.5.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री हेमन्त स्वरूप माथुर ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/213/2017

उनवान

1. मस्जिद स्थान देह जरिये मौअजन (खिदमतदार) फकीर मोहम्मद वल्द इमामुद्दीन कौम– मुसलमान निवासी माली मोहल्ला तहसील हुरडा, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. मस्जिद स्थान देह जरिये मौअजन हुसैन मोहम्मद वल्द नजीर मोहम्मद, कौम मुसलमान, निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
2. अजीज मोहम्मद वल्द इमामुद्दीन मुसलमान, निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
3. रशीद मोहम्मद वल्द इमामुद्दीन मुसलमान, निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
4. फैयाज मोहम्मद वल्द फखरूद्दीन मुसलमान, निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
5. ईकबाल मोहम्मद वल्द फकीर मोहम्मद मुसलमान, निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. भोलू पिता उगमा माली निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
7. तेजु पिता भोलू माली निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
8. श्रीमती घीसी पत्नि भोलू माली निवासी माली मोहल्ला, तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी,गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 270/2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2017

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/213/2017** मे **उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 1.2.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री एच डी वर्मा वकील एवं प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति मे दिनांक 1.2.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष की सीमा तक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.4.2017 को निरस्त किया जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 1.2.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस